न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/19/2008 दायर दिनांक 06.02.2008

उनवान

1. गोरधन पिता नाथू जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. नाराणी बेवा नाथू जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. मु0 नन्दू पिता खुमाण जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

वादीगण।

बनाम

1. पन्नालाल पिता डालू जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. लेहरू पिता डालू जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. चम्पालाल पिता डालू जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. शंकर पिता चुन्नीलाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रतिवादीगण।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः 23.03.2021

—:निर्णयः—

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1—2 जा0दी0 धारा 188 आर.टी.एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कांकरिया पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन में आ0 नं0 520 रकबा 1.14 है0 स्थित है जिसमें गेंहू व सरसों की फसल एवं रजका की फसल हम वादीगण ने काश्त कर रखी है। उक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड में हम वादीगण के खातेदारी से दर्ज होकर हमारे कब्जे एवम् अधिकार में है। इस आराजी में करीब दस साल पहले वादी गोरधन ने अपने हक की जमीन में एक कुँआ खोद रखा है जो करीब 50 फीट गहरा है। कुएँ के पानी से वादी गोरधन अपनी आराजीयात पीवल करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.06.17 13:47:24 IST
Reason: SelfAttested

यह की उक्त आराजीयात में प्रति[illegible]का किसी प्रकार से कोई हक व अधिकार नहीं है। उसके बाव[illegible] हम वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात में आये दिन द[illegible]न्दाजी करते रहते है[illegible]जीयात में

खडे वृक्षों, फसल आदि को नुकसान पहुॅचाते है। हम वादीगण द्वारा मना करने पर भी नहीं मानते है एवं लडाई झगडा करने पर आमदा हो जाते है एव हमे हमारी खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन से बेदखल करने की धमकी देते है। इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है कि वे हम वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं करे, वृक्षों, फसल, आदि को नुकसान नहीं पहुॅचावे एवं न ही ऐसा अपने परिवार के किसी भी सदस्य, नौकर, एजेन्ट आदि से करावें।

स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाने में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने की स्थिति में वादीगण को बेशुमार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति मूल्यों में नहीं की जा सकेगी व अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ जायेंगी।

दिनांक 28/1/2008 को प्रातः 11 बजे हम वादीगण अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात की देखभाल करने गये तो प्रतिवादीगण हमारी जमीन में खडे वृक्षों की टहनियों को काटने पर आमदा हुए तो हमने मना किया तो लडाई झगडा करने लग गये।

अतः अन्त में प्रार्थना की कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावें कि वाद वर्णित कॉलम संख्या एक में स्थित आराजीयात नम्बर 520 रकबा 1.14 है0 में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं करे, वृक्षों , फसल को आदि को नुकसान नहीं पहुॅचावें एवं न ही ऐसा किसी अपने परिवार के सदस्य, नौकर, एजेन्ट आदि से ही करावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच का अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ। व जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, कि वादपत्र की कॉलम संख्या एक उल्लेखित आ0सं0 520 स्थित होना स्वीकार है कुआ नही है, मनगढन्त कथन उल्लेखित किये जो स्वीकार नहीं। वादीगण की आराजी सिचाई विभाग की नहर से पीवल है और वादीगण की मांग पर हम जवाब देहन्दागण हमारे निजी चाह से भी वादीगण की फसल सिचाई हेतु हमारी मनमर्जी पर पानी दे देते है। हमारी आराजी में हमने हाल फसल रजका काश्त कर रखी है।

वादपत्र की कॉलम संख्या दो कुलिया कथन गलत होने से स्वीकार नही । हम जवाब देहन्दागण एक लगायत तीन ने हमारी आराजी में निजी उपयोग उपभोग में स्थित हमारे चाह से वादीगण को उनकी [illegible] फसल सिचाई हेतु पानी देना मना कर दिया तो हमें वादीगण ने कहा कि चाह [illegible] खर्चा ले लो चाह में हमारा भी हिस्सा रख दो तो हम खातेदारान ने मना कर दिया और मुझ शंकर की आराजी में से वादीगण ने अपनी आराजीयात में आने जाने का रास्ता कायम करना चाहा जो वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.06.17 13:47:24 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को नही करने दिया। वादीगण की आराजी सरकारी आम रास्ते हाइवे सडक से सट्टी है जहां से आते जाते है वादीगण को चाह का पानी नही देने व रास्ता कायम नही करने देने से वादीगण नाराज हो गये रंजिश कर ली हमने तो हमारी आराजी की पत्थरगढी करवाने की कार्यवाही की है हम किसी प्रकार का विवाद नही चाहते जबकि वादीगण हमारा चाह छीनना चाहते हकदार बनना चाहते है, जिसके लिये उक्त झूठी कार्यवाही कराई। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से हमें नुकसान है वादीगण सट्टा हुआ हमारा आराजी रकबा छीनने व हमारे चाह के उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचाने पर आमदा है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमावे।

वाद व जवाब दावा के पश्चात् निम्न तन्कीयात कायम की गई।

1. आया वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की होकर प्रतिवादीगण दखलन्दाजी करते है जिससे वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है

–जिम्मेवादीगण

2. आया वादीगण की आराजीयात में कुंआ नही है वादीगण की आराजी सिंचाई विभाग की नहर से सिंचाई होती है। वादीगण को हमारे चाह से पानी नही देने एवं रास्ता कायम नही करने देने से वादीगण हमारा चाह जबरन छीनना चाहते है। वादीगण किसी तरह से स्थायी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी नही है

–जिम्मेप्रतिवादीगण

3. दादरसी

शहादत वादी में वादी गोरधनलाल, प्यारचन्द पिता मोती जाति जाट निवासी कांकरिया व जगदीशचन्द्र पिता रामचन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी हिंगोरिया के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए। वादी गोरधनलाल से जिरह वकील प्रतिवादी ने की। पत्रावली में दिनांक 28.02.2020 साक्ष्यवादी में जिरह बन्द की गई। व पत्रावली साक्ष्यप्रतिवादी में चल रही है। वकील प्रतिवादी व प्रतिवादी ने साक्ष्यप्रतिवादी में किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये, जिससे साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की गई।

पत्रावली में दिनांक 26.02.2021 को वकील वादी ने बहस एक तरफा प्रस्तुत की । बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि आराजी संख्या 520 वादीगण की खातेदारी आराजीयात है जिसमें प्रतिवादीगण आये दिन खडी फसल व वृक्षों को नुकसान पहुंचाते है [illegible] वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से [illegible] फरमाया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेज, शपथ पत्र का बगौर अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। अतः तनकी अनुसार निर्णय निम्नानुसार है–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.06.17 13:47:24 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 1 आया वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की होकर प्रतिवादीगण दखलन्दाजी करते है जिससे वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है , उक्त तनकी को साबित कराने का जिम्मा वादी का था। प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया। आराजी संख्या 520 वादीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज रेकार्ड है। जो प्रदर्श–1 जमाबन्दी से सिद्ध होती है। साथ ही दौराने जिरह वादी गोरधनलाल ने उक्त आराजीयात में कुंआ होना माना है। साथ ही साक्ष्यवादी में प्यारचन्द व जगदीशचन्द्र ने अपने शपथ पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा आये दिन वादी की आराजीयात में खडी फसल व वृक्षों को नुकसान पहुॅचाना के तथ्य प्रस्तुत किये। वादीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

तनकी संख्या 2 आया वादीगण की आराजीयात में कुंआ नही है वादीगण की आराजी सिंचाई विभाग की नहर से सिंचाई होती है। वादीगण को हमारे चाह से पानी नही देने एवं रास्ता कायम नही करने देने से वादीगण हमारा चाह जबरन छीनना चाहते है। वादीगण किसी तरह से स्थायी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी नही है, उक्त तनकी को सिद्ध कराने का जिम्मा प्रतिवादीगण का था। उक्त के संबंध में साक्ष्यप्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा ना तो कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। उक्त तनकी को प्रतिवादीगण सिद्ध कराने में असफल रहे।

–:निर्णयः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में सिद्ध होने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि मौजा कांकरिया पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन में आ0 नं0 520 रकबा 1.14 है0 में किसी प्रकार से दस्तन्दाजी नहीं करे, वृक्षों व फसलों आदि को नुकसान नही पहुॅचावें, ना ऐसा स्वयं करें ना ही किसी परिवार के सदस्य, नौकर, एजेण्ट आदि से करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.06.17 13:47:24 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन